

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/162
मुकदमा नम्बर 57/2024

दर्ज दिनांक- 22.04.2024

ओमप्रकाश जोशी पुत्र श्रीराम गोपाल जाति ब्राहमण निवासी मुकुन्दगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू हाल
आबाद प्लॉट नं. 81 ए-13 नियम स्वामी विवेकानन्द स्कूल, गौरथी बोरीवली वेस्ट मुम्बई
-आवेदक

बनाम
राजस्थान सरकार जरिये लैंड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

वकील आवेदक :- श्री सुरेश कुमार शर्मा
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

-अनावेदक

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैंड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 19.07.2024


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 18 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 364 रकबा 1.300 है0 तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 11 पुराना 17 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 0.64 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल के स्थान पर ओमप्रकाश जोशी पुत्र रामगोपाल दुरुस्त किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रा. पत्र के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट 2382 दिनांक 11/7/2024 पेश कि गई जिसके अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना उचित बताया गया।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मुकुन्दगढ़ पटवार हल्का मुकुन्दगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 18 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 364 रकबा 1.300 है0 तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 11 पुराना 17 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 0.64 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल के स्थान पर ओमप्रकाश जोशी पुत्र रामगोपाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू